[2014] 13 एस. सी. आर. 291

बालूराम

बनाम

पी. चेल्लाथंगम एवं अन्य

(2014 की दीवानी अपील संख्या 10940–10941)

10 दिसंबर, 2014

[टी. एस. ठाकुर तथा आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 — आदेश 1, नियम 10 — विशिष्ट निर्वहन के वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलन — न्यासियों द्वारा वादी के पक्ष में न्यास संपत्ति के विक्रय हेतु किया गया करार — अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के रूप में स्वयं को सम्मिलित किए जाने का आवेदन इस आधार पर कि यदि सहमत मूल्य पर विक्रय किया गया तो, न्यास का लाभार्थी होने के कारण, उसे क्षति होगी — विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया, यह ठहराते हुए कि अपीलकर्ता विवाद के विषय से असंबद्ध व्यक्ति नहीं है और उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने का अधिकार है — उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया कि अपीलकर्ता न तो आवश्यक और न ही उपयुक्त पक्षकार है — अभिनिर्धारितः न्यास संपत्ति का लाभार्थी होने के कारण अपीलकर्ता को बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता — विचारण न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित था — न्यास अधिनियम, 1882।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता न्यास का लाभार्थी है और न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यासी को न्यास विलेख की शर्तों के अनुसार अपने अंतरण के अधिकार का प्रयोग करते समय युक्तिसंगत रूप से कार्य करना होता है। निःसंदेह, जैसा कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा सुझाव दिया गया है, अपीलकर्ता के लिए पृथक

वाद दायर करना संभव हो सकता है, किंतु लाभार्थी को निश्चित रूप से एक उपयुक्त पक्षकार माना जा सकता है। वादों की बहुलता से बचने के लिए उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने की उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करने का कोई वैध कारण नहीं है। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1, नियम 10 (2) के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी आवश्यक अथवा उपयुक्त पक्षकार को इस उद्देश्य से वाद में सम्मिलित करे कि वाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों का प्रभावी एवं पूर्ण रूप से विचार तथा निस्तारण किया जा सके। वर्तमान प्रकरण में, न्यास संपत्ति का लाभार्थी होने के कारण अपीलकर्ता 'बी' को बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित था। उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना त्रुटिपूर्ण था। [कंडिका 13 एवं 15] [296–ए–सी; 299–सी]

मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (प्रा.) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एवं होटल्स (प्रा.) लिमिटेड, **2010 (7) एस. सी. सी. 417 : 2010 (7) एस. सी. आर. 790** — पर अवलंबन किया गया।

एस. डी. जोसेफ एवं अन्य बनाम ई. एबिनेसन एवं अन्य, **2009 (5) सी. टी. सी. 193;** *भारत करसनिदास ठाकुर बनाम किरण कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य,* **2008 (13) एस. सी. सी. 658 : 2008 (6) एस. सी. आर. 59 — संदर्भित।**

न्याय दृष्टांत संदर्भ :

2009 (5) सी. टी. सी., पृष्ठ 193	**संदर्भित**	**कंडिका 7**
2008 (6) एस. सी. आर., पृष्ठ 59	**संदर्भित**	**कंडिका 8**
2010 (7) एस. सी. आर., पृष्ठ 790	**पर अवलंबित**	**कंडिका 11**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2014 की दीवानी अपील संख्या 10940–10941

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ द्वारा 2010 की सी. आर. पी. संख्या 2610 में दिनांक 24.11.2011 को पारित निर्णय एवं आदेश तथा 2010 की सी. आर. पी. संख्या 2610

में 2012 की पुनर्विचार आवेदन (एम. डी.) संख्या 1 में दिनांक 18.09.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता के लिए : जी. एस. मणि, आर. सतीश।

उत्तरदाताओं के लिए : सुश्री मधुरिमा मृदुल, मनोज वी. जॉर्ज, सुश्री शिल्पा ए. एम. जॉर्ज, आकाश कामरा, सिजू थॉमस, एलेक्स जोसेफ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ द्वारा 2010 की सी. आर. पी. संख्या 2610 में दिनांक 24 नवंबर, 2011 को पारित आदेश तथा 2010 की सी. आर. पी. संख्या 2610 में 2012 के पुनर्विचार आवेदन संख्या 1 में दिनांक 18 सितंबर, 2012 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं।

3. हमारे विचारार्थ उठाया गया प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता संख्या 1—वादी द्वारा दायर विशिष्ट निर्वहन के वाद में अपीलकर्ता को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने की उसकी प्रार्थना स्वीकार करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को पलटने में उच्च न्यायालय न्यायोचित था।

4. कन्याकुमारी के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दायर 2007 की दीवानी वाद संख्या 3 में वादी का मामला यह है कि के. जगथीस तथा आर. सुब्बाराम बाबू उर्फ सुब्बाराम, जो क्रमशः उत्तरदाता संख्या 2 एवं 3 हैं (वाद के मूल प्रतिवादी), "सुब्बैया पनिकर परिवार कल्याण न्यास" (संक्षेप में "न्यास") के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए, दिनांक 9 दिसंबर, 2003 को वादग्रस्त संपत्ति को वादी के पक्ष में विक्रय करने हेतु एक करार में प्रविष्ट हुए। संपत्ति का मूल्य 22,000 रुपये प्रति सेंट निर्धारित किया गया और 1 लाख रुपये अग्रिम के रूप में प्राप्त किए गए। वादी अपने अनुबंधीय दायित्व के निर्वहन के लिए तत्पर एवं इच्छुक था, किंतु प्रतिवादियों ने, समयावधि बढ़ाए जाने के बावजूद, विक्रय विलेख का

निष्पादन नहीं किया। जब उनसे ऐसा करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने यह रुख अपनाया कि विक्रय विलेख केवल तभी निष्पादित किया जा सकता है जब न्यास के लाभार्थी विक्रय के लिए सहमत हों, जो कि कोई वैध आधार नहीं था।

5. वाद की लंबित अवस्था के दौरान, अपीलकर्ता ने कन्याकुमारी, नागरकोइल स्थित जिला न्यायाधीश के न्यायालय में 2007 की दीवानी वाद संख्या 3 में 2008 का अंतरिम आवेदन संख्या 584 दायर कर स्वयं को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किए जाने की प्रार्थना की, यह अभिवचन करते हुए कि यदि अत्यल्प मूल्य पर विक्रय किया गया तो, न्यास का लाभार्थी होने के कारण, उसे क्षति पहुँचेगी। उसके अनुसार, संपत्ति का मूल्य 50,000 रुपये प्रति सेंट से अधिक था, जबकि प्रस्तावित विक्रय 22,000 रुपये प्रति सेंट की दर से किया जा रहा था।

6. उक्त आवेदन का वादी द्वारा विरोध किया गया, यह प्रस्तुत करते हुए कि लाभार्थी उक्त करार से असंबद्ध व्यक्ति है तथा न तो आवश्यक और न ही उपयुक्त पक्षकार है।

7. विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया। उसने यह ठहराया कि अपीलकर्ता विवाद के विषय से असंबद्ध व्यक्ति नहीं है और उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने का अधिकार है। इस संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय **एस. डी. जोसेफ एवं अन्य** बनाम **ई. एबिनेसन एवं अन्य** पर अवलंबन किया गया, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है—

> *"जिस प्रत्येक सदस्य का हित तथा अधिकार है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और ऐसे मामले में, जहाँ संपत्ति एक सार्वजनिक न्यास की हो, न्यायालय को यह देखना चाहिए कि प्रस्तावित पक्षकारों की अनुपस्थिति में क्या विवाद के विषय का तथ्यात्मक रूप से निस्तारण किया जा सकता है।"*

8. विचारण न्यायालय के आदेश से आहत होकर, उत्तरदाता—वादी ने संविधान के कंडिका 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, यह दलील

देते हुए कि अपीलकर्ता न तो आवश्यक और न ही उपयुक्त पक्षकार है तथा इसलिए उसे प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करने वाला विचारण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है। इस संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय **<u>भारत करसौंदास ठक्कर</u>** बनाम **<u>किरण कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य</u>** पर अवलंबन किया गया। उच्च न्यायालय ने वादी की दलील को स्वीकार किया और उत्तरदाता—वादी द्वारा दायर वाद में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2008 का अंतरिम आवेदन संख्या 584 को निरस्त कर दिया। आगे यह भी अवलोकन किया गया कि चूँकि वादग्रस्त संपत्ति न्यास की संपत्ति है, इसलिए विचारण न्यायालय संबंधित विधिक उपबंधों पर विचार कर सकता है और यह परीक्षण कर सकता है कि विक्रय करार में प्रविष्ट होने से पूर्व न्यायालय की अनुमति आवश्यक थी या नहीं।

9. उच्च न्यायालय के आदेश से आहत होकर, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष आया है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

11. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तीव्रता से यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण है। अपीलकर्ता निश्चय ही एक उपयुक्त पक्षकार था और दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1, नियम 10 (2) के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित था। भले ही न्यासी को अंतरण का अधिकार प्राप्त हो, तथापि भारतीय न्यास अधिनियम, 1881 की धारा 49 (संक्षेप में “न्यास अधिनियम”) के अंतर्गत न्यायालय को न्यासी के अधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है। न्यास के लाभार्थी के रूप में अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपीलकर्ता को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने का अधिकार था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यासी अपने अंतरण के अधिकार का अविवेकपूर्ण प्रयोग न करें। इस संदर्भ में इस

न्यायालय के निर्णय **<u>मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (प्रा.) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एवं होटल्स (प्रा.) लिमिटेड</u>** पर अवलंबन किया गया है।

12. तथापि, उत्तरदाता संख्या 1 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रस्तुतियों का विरोध किया और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलकर्ता न तो आवश्यक और न ही उपयुक्त पक्षकार है, इसलिए उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने का आवेदन स्वीकार्य नहीं था। अपीलकर्ता उक्त संव्यवहार से असंबद्ध व्यक्ति था और विवादित विक्रय पर आपत्ति करने का उसे कोई अधिकार नहीं था।

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर समुचित विचार के पश्चात्, हमारा मत है कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने संबंधी विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने में उच्च न्यायालय त्रुटि पर था। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता न्यास का लाभार्थी है और न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यासी को न्यास विलेख की शर्तों के अनुसार अपने अंतरण के अधिकार का प्रयोग करते समय युक्तिसंगत रूप से कार्य करना होता है। अतः अपीलकर्ता को बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। निःसंदेह, जैसा कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा सुझाव दिया गया, अपीलकर्ता 'बी' के लिए पृथक वाद दायर करना संभव हो सकता है, किंतु लाभार्थी को निश्चय ही एक उपयुक्त पक्षकार माना जा सकता है। वादों की बहुलता से बचने के लिए उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने की उसकी प्रार्थना अस्वीकार करने का कोई वैध कारण नहीं है। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1, नियम 10 (2) के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी आवश्यक अथवा उपयुक्त पक्षकार को इस उद्देश्य से वाद में सम्मिलित करे कि वाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों का प्रभावी एवं पूर्ण रूप से विचार तथा निस्तारण किया जा सके।

14. ***मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन (उपर्युक्त)*** के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

13. *पक्षकारों के सम्मिलन के संबंध में सामान्य नियम यह है कि किसी वाद में वादी, जो वाद का स्वामी होता है, उन व्यक्तियों का चयन कर सकता है जिनके विरुद्ध वह वाद चलाना चाहता है और उसे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसके विरुद्ध वह कोई राहत नहीं चाहता। परिणामस्वरूप, जो व्यक्ति वाद का पक्षकार नहीं है, उसे वादी की इच्छा के विरुद्ध पक्षकार बनाए जाने का कोई अधिकार नहीं होता। किंतु यह सामान्य नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") के आदेश 1, नियम 10 (2) के प्रावधानों के अधीन है, जो आवश्यक अथवा उपयुक्त पक्षकारों के सम्मिलन का उपबंध करता है। उक्त उप-नियम नीचे उद्धृत किया जाता है:*

> *"10. (2) पक्षकारों का नाम हटाया जाना या जोड़ा जाना— न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्ष के आवेदन पर अथवा बिना किसी आवेदन के, और ऐसे शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे पक्षकार का नाम, जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में अनुचित रूप से जोड़ा गया हो, वाद से हटा दिया जाए; तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति वाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों का प्रभावी एवं पूर्ण रूप से निर्णय एवं निस्तारण करने के लिए आवश्यक हो, वाद में जोड़ा जाए।"*

14. *उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में (जिसमें विशिष्ट निर्वहन के वाद भी सम्मिलित हैं), किसी आवेदन पर अथवा बिना किसी आवेदन के भी, तथा ऐसी शर्तों पर जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को पक्षकार के रूप में जोड़े जाने का निर्देश दे सकता है— (ए) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वादी अथवा प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, किंतु जोड़ा नहीं गया; अथवा*

(बी) कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति वाद में सम्मिलित प्रश्नों का प्रभावी एवं पूर्ण रूप से निर्णय तथा निस्तारण करने के लिए आवश्यक हो। संक्षेप में, न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को पक्षकार के रूप में सम्मिलित कर सके, जिसे आवश्यक पक्षकार अथवा उपयुक्त पक्षकार पाया जाए।

15. "आवश्यक पक्षकार" वह व्यक्ति होता है, जिसे वाद में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित ही नहीं की जा सकती। यदि किसी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया हो, तो स्वयं वाद ही खारिज किए जाने के योग्य हो जाता है। "उपयुक्त पक्षकार" वह व्यक्ति होता है, जो आवश्यक पक्षकार न होते हुए भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी उपस्थिति से न्यायालय वाद में विवादित सभी विषयों का पूर्ण, प्रभावी एवं पर्याप्त रूप से निर्णय कर सके, यद्यपि वह ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है जिसके पक्ष में या जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की जानी हो। यदि कोई व्यक्ति न तो आवश्यक पक्षकार पाया जाए और न ही उपयुक्त पक्षकार, तो वादी की इच्छा के विरुद्ध उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित करने का न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता। केवल यह तथ्य कि वाद के निर्णय के पश्चात किसी व्यक्ति को वादग्रस्त संपत्ति में कोई अधिकार अथवा हित प्राप्त हो सकता है, उसे विशिष्ट निर्वहन के वाद में न तो आवश्यक पक्षकार बनाता है और न ही उपयुक्त पक्षकार।

XXXXXXXXXXXXXXX

19. विशिष्ट निर्वहन के वादों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कस्तूरी [(2005) 6 एस. सी. सी. 733] के मामले में यह प्रतिपादित किया कि निम्नलिखित व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार माना जाना चाहिए— (i) उस करार के पक्षकार, जिसका निर्वहन कराया जाना अभिप्रेत है, अथवा उनके विधिक प्रतिनिधि; (ii) उस संपत्ति का अंतरणग्राही, जो उक्त करार का विषय-वस्तु है। इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विक्रय करार के विशिष्ट निर्वहन

के वाद की विषय-वस्तु में प्रत्यक्ष हित रखने वाले व्यक्ति को, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के अंतर्गत उसके आवेदन पर, उपयुक्त पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि वाद-करार के पश्चात वादग्रस्त संपत्ति का क्रेता आवश्यक पक्षकार होगा, क्योंकि उसने चाहे सूचना सहित अथवा बिना सूचना के क्रय किया हो, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा; किंतु जो व्यक्ति प्रतिवादी विक्रेता के स्वत्व के प्रतिकूल स्वत्व का दावा करता है, वह आवश्यक पक्षकार नहीं होगा।

XXXXXXXXXXXXXXX

22. आइए, पक्षकारों के नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 (2) के क्षेत्र तथा परिधि पर विचार करें। उक्त उप-नियम किसी गैर-पक्षकार के पक्षकार बनाए जाने के अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों के नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में न्यायालय के न्यायिक विवेक से संबंधित है। इस उप-नियम के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर अथवा वादी या प्रतिवादी के आवेदन पर, अथवा वाद का पक्षकार न होने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर भी कर सकता है। न्यायालय किसी ऐसे पक्षकार का नाम हटा सकता है जिसे अनुचित रूप से जोड़ा गया हो। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को वादी अथवा प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है, यदि वह यह पाता है कि वह आवश्यक पक्षकार या उपयुक्त पक्षकार है। ऐसा विलोपन अथवा समावेशन बिना किसी शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जिन्हें न्यायालय उपयुक्त समझे। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 (2) के अंतर्गत अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय निश्चय ही तर्क एवं निष्पक्षता के अनुरूप कार्य करेगा, न कि मनमानेपन या स्वेच्छाचार के अनुसार।

15. वर्तमान प्रकरण में, न्यास संपत्ति का लाभार्थी होने के कारण अपीलकर्ता को बाहरी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार के रूप में सम्मिलित

किया जाना न्यायोचित था। विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने में उच्च न्यायालय त्रुटि पर था।

16. तदनुसार, हम यह अपील स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2010 को पारित उस आदेश को बहाल करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को वाद में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया गया था। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।